मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रःएफ.1/22/2013/पीएमयू–3034 भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर, 2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश

विषयः–बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण एजेंसियों/संस्थाओं के मिशन दल के साथ विभागीय चर्चा के संबंध में।

संदर्भः–संचालनालय संस्थागत वित्त का ज्ञाप क्र.एफ.1/22/2013/पीएमयू–1746 दिनांक 01–06–2013।

––00––

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय/तकनीकी विदेशी सहायता हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने हेतु लेख किया गया था। राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा बाह्य वित्त पोषण एजेंसियों/संस्थाओं के वित्तीय सहयोग से परियोजना/कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात परियोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करना होता है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रस्ताव को वित्त पोषण संस्था को अग्रेषित करने पर वित्त पोषण संस्था द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु मिशन दल राज्य में भेजे जाते हैं। तत्पश्चात परियोजना/कार्यक्रम की स्वीकृति दी जाने के पश्चात एवं परियोजना/कार्यक्रम के कियान्वयन के दौरान भी वित्त पोषण संस्था में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समय–समय पर मिशन दल आते हैं।

2/– उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप दिनांक 01–06–2013 से यह निर्देश दिये गये थे कि विदेशी सहायता से संचालित की जा रही परियोजनाओं हेतु समय–समय पर प्रदेश प्रवास पर आने वाले विभिन्न मिशन की सूचना परियोजना प्रबंध इकाई को भी दी जाय। परन्तु यह देखने में आया है कि विभाग द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया

जा रहा है। मिशन दल द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त तथा आयुक्त, संस्थागत वित्त के साथ भी wrap-up बैठक की जाना चाहिये। साथ ही मिशन दल के साथ चर्चा के दौरान शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती हैं क्योंकि मिशन दल द्वारा अपने एडमेमोयर में विभाग द्वारा दी गई जानकारी को ही समाविष्ट किया जाता है। यदि संभव हो तो मिशन दल द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट एड–मेमोयर (Aide Memoire) को विभाग/परियोजना कियान्वयन इकाई द्वारा देख लिया जाय और यदि आवश्यक हो तो संशोधन भी सुझाये जाय, जिससे कि अंतिम एड–मेमोयर (Aide Memoire) में विभाग/परियोजना कियान्वयन इकाई के संशोधन समाविष्ट हो सकें।

3/– राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि समय–समय पर प्रदेश प्रवास पर आने वाले मिशन दलों के भ्रमण के समय कतिपय परियोजना/कार्यक्रम कियान्वयन इकाईयों एवं विभागों के द्वारा परियोजना के कियान्वयन में दूसरे विभागों से संबंधित विवादास्पद मुद्दों एवं समस्याओं को मिशन दल के साथ साझा किया जाता है, जो सर्वथा उचित नहीं है। परियोजना/कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर दूसरे विभागों के भिन्न मत को मिशन दल के साथ साझा किया जाना भी उचित नहीं है। इसी प्रकार, यदि किसी प्रकरण में मंत्रि–परिषद् आदेश प्राप्त किये जाना है तो विभाग द्वारा मंत्रि–परिषद् हेतु तैयार किया गया प्रस्ताव गोपनीय स्वरूप का होने के कारण मंत्रि–परिषद् निर्णय के पूर्व मिशन दल के साथ किन्हीं भी परिस्थितियों में साझा नहीं किया जाना चाहिये। इस संबंध में मिशन दल के समक्ष यह उल्लेख करना समुचित होगा कि "प्रकरण राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन है"।

4/– समस्त विभाग, विभागाध्यक्ष, राज्य शासन के उपक्रम आदि से अपेक्षा है कि बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु मिशन दल के साथ चर्चा के दौरान आवश्यक सावधानी रखी जाय।

7.9.2013

(अजय नाथ)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृ.क्रः क्रःएफ.1/22/2013/पीएमयू/13035 भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश के समस्त निगम/मण्डल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

S.K. Gupta

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त
मध्य प्रदेश